जी० बी० पन्त अस्पताल में औषधियों की खरीद में अनियमितता

1988. **श्री सोहन लाल धूसिया :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली द्वारा हाल ही में निविदाएं आमंत्रित किए बिना लाखों रुपये मूल्य की औषधियां खरीदी गई है ; यदि हां, तो इस खरीद के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस संबंध में अब तक कितने अधिकारियों को मुअत्तिल किया जा चुका है, यदि किसी अधिकारी को मुअत्तिल नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण है ; क्या इसके नर्सिंग होम का भी दुरुपयोग किया जाता है ; और

(घ) इस अस्पताल में बिलों अधिकारी का पद कब से रिक्त पड़ा है और उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली में निविदाएं मांगे बिना कोई औषधी नहीं खरीदी गई है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठाते । उपचार्य गृह के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) क्य अधिकारी का पद 6-12-1980 से रिक्त पडा है और सरकार के अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार इस पद को भरने की कार्यवाई पहले ही शुरु की जा चुकी है ।

Doctor's Agitation against non-Implementation of the Package-deal

1989. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to statement of Dr. A. K. Bhowmick, Special Secretary of Service Doctor's Association on July 18, 1988 to the effect that Service Doctors had pledged that they are to adopt the path of agitation to protest against non-implementation of the package offered by Government after their nine-day strike last year; and

(b) whether the nine-day strike period has been declared as dies-non in respect of those doctors could not or did not attend duty during the strike period, in contravention to the assurance given to doctors before withdrawing the strike?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Yes, Sir.

(b) No such assurance was given by the Government to the doctors before withdrawing the strike. The nine-day period of strike declared as dies-non conforms to the principle of 'no work-no pay' as decided by the Government.

Checking Foreign visitors at Airports for AIDS

1990. DR. YELAMANCHILI SIVAJI:
SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to check the visitors from other countries on landing at our airports as a safety measure against AIDS;

(b) whether Government have circulated detailed guidelines for

screening of foreigners and deportation of positive AIDS cases; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) No.

(b) and (c) Yes. All foreign students being admitted into any Indian Educational/Research/Training Institute are required to undergo AIDS test within one month of arrival in India. Government has also decided that all foreigners, who intend to stay in India for more than one year shall be subjected to AIDS test except those foreigners working in various missions whether enjoying diplomatic status or not and journalists accredited to the PIB. If after AIDS test, a foreign national is found to have infection, he/she will be deported.

तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन

1991. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा दिये जाने के लिये राज्य सरकारों ने प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में अभी तक किन-किन राज्य सरकारों ने कदम उठाये है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से केन्द्रीय योजनाओं का प्रयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है । विभिन्न केन्द्रीय योजनागत योजनाएं, जिनके अन्तर्गत विभिन्न राज्यो में तकनीकी संस्थाओं को अनुदान जारी किए जाते है, नीचे दी गई है :—

1. राष्ट्रीय तकनीकी मानव-शक्ति सूचना प्रणाली ।
2. अग्रिम तकनीशियन पाठ्यक्रम
3. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का विकास
4. प्रबंध शिक्षा
5. मास्थानिक नेटवर्क योजना
6. आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित प्रथाओं को दूर करना
7. महत्वपूर्ण क्षेत्र
   (i) कमजोरी के क्षेत्रों में सुविधाओं को मजबूत बनाना
   (ii) उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अनुस्थापना का सृजन
   (iii) नई/उन्नत प्रौद्योगिकियों के कार्यक्रम ।
8. सामुदायिक पोलिटेक्निक
9. पाठ्यचर्या विकास
   (i) राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या विकास सैलों की स्थापना/मजबूत बनाना
   (ii) विद्यमान पाठ्यचर्या विकास सैलों को मजबूत बनाना ।
   (iii) विद्यमान पाठ्यचर्या विकास सैलो में संसाधन विकास केन्द्र स्थापित करना ।
10. **सतत शिक्षा**
    (i) सतत् शिक्षा केन्द्र स्थापित करना ।
    (ii) चुनिन्दा संस्थाओं में सतत् शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षण के विभागों को स्थापित करना ।
    (iii) चुनिन्दा संस्थाओं में सतत शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करना ।